सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. NCST/ATY-984/BR/5/2023-APCR Dated : 26.02.2024

To

Shri Vineet Kumar
Superintendent of Police,
District – Rohtas,
Office of the Superintendent of Police,
District – Rohtas, Bihar 821307
Email Id: sp-rohtas-bih@nic.in

Subject: Representation dated 09.01.2023 of Shri Dnyaneshwar Prasad (Gyan Gond) regarding the murder of tribal woman Rajkalo Devi Oraon.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of the Minutes of the Meeting held on 06.02.2024 under the Chairmanship of Shri Ananta Nayak, Hon'ble Vice-Chairperson (Acting), National Commission for Scheduled Tribes on the above mentioned subject for necessary action. It is requested that compliance report may be submitted to this Commission within 30 days positively.

Encl: as above

Yours faithfully

NIC

(एच.आर मीना /H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

Copy for information to:

Shri Dnyaneshwar Prasad (Gyan Gond)
Residence – Station Road Gajadhar Ganj
Ambedkar Chowk
District- Buxar Bihar.
Mobile Number:9152775810

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NCST/ATY-984/BR/5/2023-APCR

एक आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म कर, उसकी हत्या करने के सम्बन्ध में श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद गोंड, सदास्य, बिहार विधान परिषद, स्टेशन रोड, गजाधर गंज, अंबेडकर चौक, जिला - बक्सर, बिहार के अभ्यावेदन पर आयोग के माननीय उपाध्यक्ष (कार्यवाहक) श्री अनंत नायक, की अध्यक्षता में दिनांक 06.02.2024 को आयोग में हुई मीटिंग का कार्यवृत ।

मीटिंग की तिथि	:	06.02.2024
मीटिंग में उपस्थित अधिकारी	:	परिशिष्ट

आयोग को श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद गोंड, सदास्य, बिहार विधान परिषद, स्टेशन रोड, गजाधर गंज, अंबेडकर चौक, जिला - बक्सर, बिहार का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जो एक आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म कर, उसकी हत्या करने के सम्बन्ध में है। अभ्यावेदन में बताया गया है कि बिहार राज्य जिला - रोहतास की निवासी आदिवासी महिला राजकालो देवी उरांव पति महेंद्र उरांव दिनांक 04.01.2023 सूखी लकड़ी बटोरकर भूख मिटाने के लिए अपने घर की ओर जा रही थी किन्तु कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा इस महिला के साथ बलात्कार कर हत्या कर दी गई है।

2. प्रकरण में आयोग द्वारा 3 दिनों की अवधि में रिपोर्ट हेतु पुलिस महानिदेशक, बिहार और पुलिस अधीक्षक, रोहतास को नोटिस दिनाक -28/07/2023 भेजा गया है।

3. आयोग के नोटिस दिनांक 28.07.2023 के जवाब में पुलिस अधीक्षक, रोहतास ने उत्तर रिपोर्ट दिनांक 21.08.2023 भेजी है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि अनुसंधान के क्रम में धारा 302/201/376/34 भा0द0वि0 एवं 3(1)(w)/3(2)(v) अनु0जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत आरोपियों के विरुद्ध सत्य पाया गया है तथा इन्हें दिनांक 07.01.2023 को गिरफ्तार कर दिनांक 08.01.2023 को न्यायिक हिरासत मे भेज दिया गया है। जिला कल्याण पदाधिकारी, रोहतास सासाराम के पत्रांक सं 781 दिनांक 05.05.2023 के माध्यम से प्राप्त सूचनानुसार वादी/पीड़ित पक्ष को मुआवजे की राशि प्रथम किस्त के रूप मे 4,12,500/- चेक/PFMS के माध्यम से दिनांक 05.05.2023 को प्राप्त हो चुकी है। वर्तमान में मामला न्यायालय मे विचाराधीन है।

4. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 06.02.2024 को पुलिस अधीक्षक जिला रोहतास (बिहार) के साथ आयोग में सुनवाई/मीटिंग तय की गयी |

5. मीटिंग में पुलिस अधीक्षक, जिला रोहतास आयोग के समक्ष उपस्थित हुये तथा अभ्यावेदक उपस्थित नहीं हुये। प्रकरण मे चर्चा / सुनवाई हुई। सुनवाई दौरान पुलिस अधीक्षक रोहतास ने आयोग को बताया है कि पीड़ित पक्ष को मुआवजे राशि कीप्रथम किस्त के रूप में दिनांक 13.01.2023 को 4,12,500/-रू तथा द्वितीय किस्त में दिनांक 05.05.2023 को 4,12,500/- रू. कुल 8,25,000/- रु. चेक/PFMS के माध्यम से की भुगतान की जा चुकी है। अब कोई राशि भुगतान हेतु लंबित नहीं है। कांड मे त्वरित विचारण प्रारंभ है, जिसमें आरोप का गठन किया जा चुका है तथा गवाहों की गवाही हेतु सम्मन जारी किया गया है। उन्होने यह है भी बताया है कि आरोपी वन विभाग के कर्मचारी हैं जिनका निलंबन किया जा चुका है।

अनन्त नायक

अनंत नायक/ANANTA NAYAK
कार्यवाहक उपाध्यक्ष/Acting Vice-Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

6. प्रकरण पर सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्न अनुशंसाएँ की जाती हैं -:

- पुलिस द्वारा न्यायालय में गवाही की प्रक्रिया आरोपियों द्वारा पीड़ित पक्ष के गवाहों को प्रभावित करने से बचाया जाये।
- SDPO और अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा पीड़ित पक्ष के साथ सकारात्मक सहयोग किया जाये।
- राज्य सरकार द्वारा पीड़ित पक्ष को पात्रता के अनुसार सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा योजनाओं बच्चों की शैक्षणिक सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जाये
- वन विभाग, बिहार द्वारा पीड़ित पक्ष के पात्र व्यक्ति को पशु रक्षक (cattle guard) या अन्य की नौकरी दी जायी।
- पीड़ित पक्ष को पात्रता होने पर प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जाये।
- आयोग की उक्त अनुशंसाओं को मुख्य सचिव,बिहार सरकार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार , जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, रोहतास को आवशक कार्रवाई करने एवं तत्संबंधी रिपोर्ट आयोग को भेजने हेतु अग्रेषित किया जाए।

प्रकरण में की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को 30 दिनों के भीतर भेजने की व्यवस्था की जाए |

अनन्त नायक

(अनंत नायक)
उपाध्यक्ष (कार्यवाहक)
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

ANANTA NAYAK
Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति
NATIONAL COMMISSION FOR S... TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
Case File No.- NCST/ATY-984/BR/5/2023-APCR

List of participants

National Commission for Scheduled Tribes

Shri Ananta Nayak
Hon'ble Member

Shri R.K. Dubey
Deputy Director

Shri H.R. Meena
Research Officer

Officers from O/o Superintendent of Police, Rohtas, Bihar

Shri Vineet Kumar,
Superintendent of Police,
Rohtas, Bihar.

Petitioner

Not present.